

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,  
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 305/09

संस्थित दिनांक -17/08/09

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर  
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

गुडविल पाल वल्द पूरन पाल  
 उम्र 52 वर्ष निवासी -वार्ड नं.30  
 सरस्वती नगर बालाघाट  
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 06/04/2017 को घोषित }

1. आरोपी गुडविल पाल के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304ए भा.द. वि. के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 06.05.2009 को ग्राम मोहनपुर आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत लोक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी.-3571 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व आहत दीपक को चोट पहुँचाकर घोर उपहति कारित की तथा आहत आकाश एवं रवि की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.05.2009 को प्रार्थी धुरन कटरे निवासी मोहनपुर द्वारा चौकी आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया है कि दिनांक 06.05.09 को दोपहर 02:30 बजे के आसपास बैहर बालाघाट रोड़ में बंजारी से थोड़ा आगे मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा में तीन लोग बैठकर बालाघाट की ओर जा रहे थे कि बालाघाट तरफ से एक ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी.-3571 का चालक गुडविल पाल ने ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उक्त मोटरसाईकिल को ठोस मार दिया जिससे मोटरसाईकिल में बैठे रवि गाजरे, दीपक हलबा, आकाश बारीक को गंभीर चोटें आयी, उक्त मोटरसाईकिल का नम्बर एम.एच.31/बी.ई.4726 था,

की रिपोर्ट पर अपराध धारा 279, 337 भा.दं०सं० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेख किये गये। आहतों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया। द टनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। आहत आकाश बारीक एवं रवि कुमार दौरान ईलाज के फौत हो जाने से मर्ग डायरी एवं पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर धारा 304ए एवं 338 भा.दं०सं० का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गुडविल पाल पर अपराध सबूत पाये जाने से संबंधित ट्रक को जप्त किया जाकर सुपुर्दनामा पर छोड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया तथा आरोपी के द्वारा बीमा एवं लाईसेंस पेश नहीं करने से मो.व्ही.एक्ट की धारा बढ़ायी गयी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या आरोपी गुडविल पाल ने दिनांक 06.05.2009 को ग्राम मोहनपुर आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत लोक मार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी.-3571 का उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

(2) क्या आरोपी गुडविल पाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत दीपक को चोट पहुंचाकर घोर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी गुडविल पाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आकाश एवं रवि की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

### **::सकारण निष्कर्ष::**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. दीपक (अ०सा०-3) का कहना है कि वह मृतक रवि एवं मृतक आकाश को जानता है, घटना 06 मई 2009 को बंजारी के पास दोपहर 02:30 बजे की है। जब वह आकाश व रवि के साथ मोटरसाईकिल से बालाघाट जा

रहा था, तभी सामने से एक ट्रक आया जो उनकी मोटरसाईकिल को ठोस मार दिया। उक्त घटना में रवि ट्रक में फंस गया था तथा कुछ दूरी तक फंसकर चला गया था, उसे बंजारी में कुछ लोगों ने देखा था। उक्त घटना में आकाश को सीने में एवं उसे सिर पर लगा था। ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चलाते हुए ले जा रहा था। उक्त घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। उसे पता नहीं कि उक्त घटना किसकी गलती से हुई थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि चोट लगने के बाद उसे बालाघाट अस्पताल ले गये थे और वह दिनांक 06.05.09 से दिनांक 14.05.09 तक अस्पताल में भर्ती रहा। दिनांक 06.05.09 को 02:30 बजे ट्रक एम.पी.20/जी-3571 के चालक गुडविल पाल द्वारा एक्सीडेंट करने से उसे और उसके दोस्त को चोट आयी थी तथा रवि कुमार की मृत्यु हो गयी थी। उसने पुलिस को प्र.पी.06 का कथन दिया था।

6. धुरन कटरे (अ0सा0-1) का कहना है कि घटना एक साल पूर्व शाम करीब 04:00 बजे ग्राम बंजारी में गर्मी के समय की है। वह अपनी होटल में बैठा हुआ था, उसी समय बालाघाट तरफ से एक ट्रक आया उसमें से खर-खर की आवाज आ रही थी। ट्रक से धूल उठ रही थी तो उसने एवं अन्य लोगों ने चिल्लाया और दौड़े तो ट्रक वाले ने ट्रक रोका। पास जाकर देखा तो ट्रक में एक आदमी एवं एक हीरो होण्डा गाड़ी फसी हुई थी। जब उसने देखा था तो ट्रक ड्रायवर बहुत रफतार से ट्रक चला रहा था। फिर सभी लोग इकट्ठे हो गये और ट्रक से उस लड़के को निकाले और पानी पिलाया उसके सिर पर चोट थी फिर उसे बालाघाट लेकर गये। आहत लड़का उकवा का था, पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसने घटना के बारे में पुलिस को बताया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिसवाले उक्त मोटरसाईकिल एवं ट्रक जिसमें लड़का दबा था, को लेकर गये थे जो जप्ती पत्रक प्र.पी.03 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पत्रक प्र.पी.04 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी गुडविल पाल से जप्ती नहीं हुई थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई। सूचक प्रश्न पूछे जाने

पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल से घायल रवि की मोटरसाईकिल एम.एच.31/बी.ई-4726 गवाहों के समक्ष पुलिस ने जप्त किया था। ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी-3571 टाटा कंपनी का गांधी रोड लाईन बालाघाट लिखा हुआ मय दस्तावेज के पुलिस ने गुडविल पाल से जप्त किया था।

7. दुलीचंद (अ0सा0-2) का कहना है कि घटना उसके साक्ष्य देने से दो वर्ष पूर्व बंजारी में दोपहर के समय 02:00 बजे की है। एक ट्रक बालाघाट तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा था जिसे गुडविल चला रहा था। उसे ट्रक का नम्बर याद नहीं है। जिसमें एक मोटरसाईकिल व एक लड़का फसा हुआ आ रहा था। फिर उन्होंने ट्रक को रोककर लड़के को निकाला। ट्रक में दो लोग थे जिसमें से एक गुडविल था और दूसरा कंडक्टर था जिसका नाम याद नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे पुलिस अभियुक्त चालक एवं ट्रक को जप्त कर चौकी लेकर गयी थी, जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं 04 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त गुडविल पाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 बनाया था जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल से उकवा के घायल रवि की पुराने काले रंग की हीरोहोण्डा एम.एच.31/बी.ई-4726 मय दस्तावेजों के पुलिस ने उसके समक्ष जप्त किया था। पुलिस ने ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी-3571 पुराना टाटा कंपनी का रोड लाईन बालाघाट लिखा हुआ आरोपी गुडविल से मय दस्तावेज के जप्त किया था।

8. शरीफ हुसैन (अ0सा0-7) का कहना है घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है, उस दिन ट्रक व मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हुआ था। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। उसकी बंजारी में टायर वगैरह की दुकान है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी किन्तु हस्ताक्षर कराये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.12 का बयान देने से इंकार किया।

9. सुरेन्द्र (अ0सा0-4) का कहना है कि वह मृतक आकाश एवं रवि



तथा आहत दीपक को जानता है। मृतक आकाश उसका लड़का था। घटना दिनांक 06.05.09 को बंजारी के नीचे 02:30 से 03:00 बजे की है। उसका लड़का और दोनों दोस्त मोटरसाईकिल से बालाघाट जा रहे थे, गर्मी का दिन था उसका लड़का व उसके दोनों दोस्त खड़े होकर पेशाब कर रहे थे उसी समय एक ट्रक आया और उसने उनको ठोस मार दिया। उक्त ट्रक गुडविल चला रहा था। उस समय वह उकवा काम करने गया था, किसी ने उसे घटना की सूचना दी थी। जिसके बाद वह शासकीय अस्पताल बालाघाट गया तो वहां पर आकाश को एक्सरे के लिए ले जा रहे थे। रवि मौके पर ही फौत हो गया था, दीपक को भर्ती करने के बाद नागपुर रिफर कर दिये थे। उसके लड़के को भी नागपुर रिफर करने के बाद वह रास्ते में फौत हो गया था। पुलिस ने सोनेवानी चौकी में मृतक आकाश व रवि का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.07 एवं 08 उसके समक्ष बनाया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे यह जानकारी पता चली थी कि आरोपी गुडविल ट्रक को तेजगति से चला रहा था। उसने आकाश के शव को सुपुर्दनामा पर लिया था। शव सुपुर्दनामा प्र.पी.09 एवं 10 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. आशीष बारिक (अ0सा0-8) का कहना है कि घटना 06 मई 2009 की है। वह मण्डला कोर्ट में काम कर रहा था तभी उसकी बहन ने फोन कर बताया कि भैया आकाश का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे बालाघाट ले गये हैं। खबर मिलने पर वह दूसरे दिन बालाघाट अस्पताल पहुंचा था जहां उसके भाई आकाश एवं रवि गांजरे की मृत्यु हो चुकी थी। उसे पता चला कि ट्रक व मोटरसाईकिल की भिड़त हुई है। उसका भाई आकाश रवि के साथ मोटरसाईकिल पर था। उक्त ट्रक के पीछे का नम्बर उसे याद है जिसका नम्बर 3571 था जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उसे ऐसा पता चला था कि ट्रक चालक गुडविल ट्रक को तेज रफतार व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था और उसके भाई व रवि को ट्रक से घसीटते हुए ले गया था।

11. रामेश्वर (अ0सा0-5) पक्षद्रोही रहा है जिसका कहना है घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग चार साल पूर्व ग्राम बंजारी में शाम के पांच बजे

की है। उस समय वह चाय नास्ता दे रहा था, तभी बालाघाट तरफ से एक ट्रक आया रहा था। इसके अलावा उसे और कुछ याद नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.11 का बयान देने से इंकार किया है।

12. जयप्रकाश (अ0सा0-9) का कहना है दिनांक 06.05.09 को पुलिस चौकी सोनेवानी थाना रूपझर में आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान पुलिस चौकी सोनेवानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.दं0सं0 एवं धारा 184, 177 मो.व्ही.एक्ट का अपराध शून्य पर कायम किया था। जिसे असल नम्बर पर कायमी हेतु वह थाना रूपझर लाया था। जिसकी असल नम्बरी थाना रूपझर में पदस्थ प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद क्रमांक 620 ने अपराध क्रमांक 48/09 में पंजीबद्ध किया था जो प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. अनिल मानपुरे (अ0सा0-12) का कहना है कि दिनांक 02.05.09 को पुलिस चौकी अस्पताल बालाघाट में आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान चौकी प्रभारी द्वारा मृतक रवि पिता रमेश उम्र 13 वर्ष साकिन उकवा थाना रूपझर का शव पी.एम हेतु उसके द्वारा लाया गया था। शव बालाघाट ले जाकर डां. वी.पी.समद एम.ओ. डी.एच.वी. से शव का पी.एम. करवाया गया था। पी.एम. उपरांत मृतक के वारसानों को मृतक का शव कफन-दफन हेतु सुपुर्दनामा पर दिया था, जो प्र.पी.10 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 07.05.09 को मृतक आकाश पिता सुरेन्द्र उम्र 22 वर्ष साकिन उकवा थाना रूपझर के शव को चौकी प्रभारी द्वारा उसके माध्यम से परीक्षण हेतु भेजा गया था। शव बालाघाट ले जाकर डां. वी.पी.समद एम.ओ. डी.एच.वी.से शव का पी.एम. करवाया गया था, पी.एम. उपरांत मृतक के वारसानों को मृतक आकाश का शव कफन-दफन हेतु सुपुर्दनामा पर दिया था, उक्त रिपोर्ट प्र.पी.09 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. मोहनलाल (अ0सा0-10) का कहना है कि दिनांक 07.05.09 को पुलिस चौकी अस्पताल बालाघाट में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान वार्डवॉय राजू पिता मनोहर शासकीय अस्पताल बालाघाट में डां. आर के

मिश्रा द्वारा लेख की गयी तहरीर लाकर पेश किया था। जिसके आधार पर उसके द्वारा 0/09 धारा 171 जा0फौ0 मृतक आकाश पिता सुरेन्द्र बारिक उम्र 22 वर्ष साकिन उकवा का मर्ग शव परीक्षण कराया था। मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्र.पी.14 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने मर्ग इंटीमेशन फार्म, आकाश का शव परीक्षण हेतु भिजवाया था।

15. एल.सी.चौधरी (अ0सा0-13) का कहना है कि दिनांक 06.05.09 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान चौकी सोनेवानी से आरक्षक जयप्रकाश चौधरी के द्वारा अपराध क्र 0/09 धारा 279, 337 एवं 184, 177 मो.व्ही.एक्ट की प्रथम सूचना पेश करने पर असल नम्बरी अपराध क्र 48/09 में दर्ज किया था जो प्र.पी.13 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 09.05.09 को असल नम्बरी मर्ग क्रमांक 23/09 धारा 174 मृतक आकाश का मर्ग इंटीमेशन कायम किया था जो प्र.पी.14 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. डां. बी.पी.समद (अ0सा0-14) का कहना है कि वह दिनांक 06.05.09 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थापना के दौरान आरक्षक क्रमांक-701 कमल चौकी सोनेवानी से आहत आकाश पिता सुरेन्द्र उम्र 20 साल निवासी उकवा थाना रूपझर को उसके समक्ष ईलाज हेतु लाया गया था। आहत को ओ.पी.डी. कार्ड भर्ती का लिखा था जो प्र.पी.15 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत का ईलाज किया गया था, आहत का वेडहेड टिकिट प्र.पी.16 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत को चोट क्रमांक 01 सिर के दाहिने तरफ तीन से.मी. गुणा एक सें.मी. गहरा फटा हुआ भाग जो किसी कठोर वस्तु से कारित किया गया था एवं आहत को चोट क्र01 के लिए एक्सरे की सलाह दिया था। चोट क्र.02 दाहिनी आंख के उपर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार दो से.मी.गुणा आधा सें.मी. गहरा होना पाया था। आहत को आयी चोट कठोर वस्तु से आना प्रतीत थी जो परीक्षण के छः घण्टों के अंदर आना प्रतीत हो रही थी। चोट क्र03 आहत के दाहिने कान से खून निकल रहा था एवं

आहत को सर्जिकल चैकअप की सलाह दी थी उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.17 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 07.05.09 को पुलिस कोतवाली के आरक्षक क्रमांक 710 अनिल के द्वारा आहत आकाश के शव को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। मृतक के शव की पहचान आशीष बारीक, डीगम्बर राहंगडाले, एवं आरक्षक अनिल के द्वारा की गयी थी। आहत आकाश उम्र 22 वर्ष का शव परीक्षण करने पर मृतक का दाहिना हाथ खुला था, उसके नाक एवं दाहिने कान से खून बह रहा था। उनके द्वारा आहत को परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.17 के अनुसार उल्लेखित चोट पायी थी। उनके मतानुसार मृतक के सिर पर आई चोटें तथा छाती के अंदर वाईटल ऑर्गन में आई चोट की वजह से आने वाले शॉक के कारण हुई थी आहत को मृत्यु उसके परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के अंदर हुई थी उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.18 है।

17. डां. बी.पी.समद (अ0सा0-14) का कहना है कि दिनांक 06.05.09 को आरक्षक क्रमांक 701 कमलसिंह थाना रूपझर द्वारा आहत दीपक पिता बिसन उम्र 18 वर्ष निवासी उकवा को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था चोट क्र01 आहत के नाक से खून बह रहा था, वह होश में था उसे सिर के एक्सरे की सलाह दी गयी थी आहत को आगे ईलाज हेतु सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास रिफर किया गया था। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.19 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य से घटना के समय आहत दीपक को उपहति कारित होना दर्शित है क्योंकि घोर उपहति के संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

18. डां. बी.पी.समद (अ0सा0-14) का कहना है कि उक्त दिनांक को ही आहत रवि पिता रमेश उम्र 18 वर्ष निवासी उकवा को परीक्षण हेतु लाने पर चोट क्र01 सिर के पीछे की ओर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 05 से.मी. गुणा 06 से.मी. था जो दबा हुआ घाव था उसमें विकृति आ गयी थी। चोट क्र02 पीठ पर दाहिनी ओर खरौंच का निशान जिसका आकार 20 सें.मी. गुणा 18 से.मी. था। चोट क्र03 पीठ पर बांयी ओर खरौंच के निशान जिसका आकार 12 सें.मी. गुणा 06 सें.मी. था। चोट क्र04 कमर पर दाहिनी ओर एक खरौंच का



निशान जिसका आकार 20 सें.मी. गुणा 18 सें.मी. था। चोट क्र05 मृतक के दाहिने कूल्हे पर एक फटा हुआ घाव था जिसका आकार 15 से.मी.गुणा 18 से.मी. था, एवं धूल से सना हुआ घाव था। चोट क्र06 बायें कूल्हे पर खरौंच के निशान थे जिसका आकार 10 सें.मी. गुणा 12 सें.मी. थ। चोट क्र07 दाहिने ऐड़ी के पीछे की ओर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 5 से.मी. गुणा 4 से.मी. था तथा मांस पेशियों तक गहराई लिये हुये था। चोट क्र08 आहत को बायें स्टर्नोक्विलेवी कूलर ज्वाइंट सरका हुआ था एवं पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी। आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक सामान्य कद काठी का था खोपड़ी के पीछे के भाग में अस्थी भंग था एवं खोपड़ी के अंदर रक्त भरा हुआ था मृतक की दाहिने तरफ की फसलियां टूटी हुई एवं अंदर धसी हुई थीं, कण्ठनली एवं स्वासनली हेलदी थी। मृतक के दाहिने फेफड़े में चोट थी, बायां फेफड़ा कंजस्टेड था हृदय के दाहिने ओर थोड़ी मात्रा में रक्त था एवं हृदय का बायां भाग खाली था उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु सिर पर आई चोट से होने वाली निरोजैनिक शॉक(मस्तिष्क में अंदरूनी चोट) के कारण हुई थी, मृतक की मृत्यु परीक्षण के 12 से 24 घण्टे पूर्व की थी। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. कुलदीप गांधी (अ0सा0-6) का कहना है घटना दिनांक 06.05.09 की है। उक्त ट्रक क्रमांक ए.पी.20/जी-3571 को चलाने के लिए अभियुक्त गुडविल पाल को बालाघाट से सोनवानी के जंगल से लकड़ी लाने के लिए रवाना किया था उक्त ट्रक को गुडविल पाल चला रहा था। उनका ट्रक तीन माह से चल रहा था जिसका नम्बर एम.पी. 20/जी-3571 है।

20. जी.एल.अहिरवार (अ0सा0-11) का कहना है कि वह दिनांक 06.05.09 को चौकी सोनवानी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान उक्त दिनांक को धूरन कटरे के मौखिक रिपोर्ट पर उसके बताये अनुसार प्र.पी.01 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्र 0/09 धारा 279, 337 भा.दं.सं. लेख किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था पश्चात अपराध क्र 48/09

प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.13 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रार्थी की निशादेही पर प्र.पी.02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी धूरन साक्षी दुलीचंद, नंदकिशोर, रामेश्वर, शरीफ हुसेन एवं दिनांक 11.05.09 को आशीष, सुरेन्द्र, कुलदीप के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था दिनांक 06.05.09 को घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष मोटरसाईकिल क्रमांक एम.एच.31/बी.ई.-4726 का जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त से साक्षियों के समक्ष ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी.-3571 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बालाघाट अस्पताल भेजा था। आहत आकाश की मृत्यु शासकीय अस्पताल बालाघाट में ईलाज के दौरान हो गयी थी जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया था। एवं दिनांक 18.05.09 को साक्षी दीपक के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था। जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.20/जी.-3571 का विधिवत परीक्षण कराकर रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.एच.31/बी.ई.-4726 का विधिवत परीक्षण कराकर चालान के साथ संलग्न किया था। उसके द्वारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी को प्रस्तुत की गयी थी।

21 उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा चालित ट्रक से कारित दुर्घटना में आहत दीपक को उपहति कारित हुई थी, जबकि आकाश एवं रवि की मृत्यु कारित हुई थी क्योंकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण धूरन कटरे (अ0सा0-1) तथा दुलीचंद (अ0सा0-2) ने अभियुक्त के वाहन से दुर्घटना होने के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। अभियुक्त द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि घटना के समय वह अन्यत्र था तथा

साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में उक्त संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं किये गये हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दुर्घटना उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कारित की गयी थी। साक्ष्य की सूक्ष्मता से अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि घटना का एक ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आहत दीपक (अ0सा0-3) है क्योंकि साक्षीगण धूरन कटरे (अ0सा0-1) तथा दुलीचंद (अ0सा0-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में केवल ट्रक में आहतगण की मोटरसाईकिल फसे देखने के कथन किये हैं तथा दुलीचंद (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि है कि उसने घटनास्थल पर फसते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना किसकी लापरवाही से हुई उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। स्वयं घटना के आहत दीपक (अ0सा0-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में मात्र ट्रक के तेज गति से होने के कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी गुडविल की गाड़ी से मोड़ में टकरायी थी। घटनास्थल पर कम जगह होने से घटना हुई थी तथा उनकी गाड़ी ट्रक में पीछे टकरायी थी। उक्त साक्षी घटना का एक मात्र चश्मदीद साक्षी है जिसने अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपन के संबंध में कोई कथन न कर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। घटना का कोई अन्य साक्षी नहीं है तथा आहतगण स्वयं एक मोटरसाईकिल पर तीन सवार होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि घटना आहतगण की गलती से हुई होगी।

22. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने

के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत दीपक को चोट पहुंचाकर घोर उपहति कारित की तथा आहत आकाश एवं रवि की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

23. अतः अभियुक्त गुडविल पाल पिता पूरन पाल को भा.दं0सं0 की धारा 279, 338 एवं 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

24. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.20/जी.-3571 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

26. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)